न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 58/2016

अपीलान्ट

1. श्रीमती सकीना पत्नी मोडे खां जाति कोटवाल मुसलमान निवासी उम्मेदाबाद तहसील जालोर
2. श्रीमती सीता पुत्री मोडे खां जाति कोटवाल मुसलमान निवासी टेकरावास भीनमाल
3. श्रीमती भूरी पुत्री मोडे खां पत्नी तगे खां जाति कोटवाल मुसलमान निवासी रामसीन तहसील भीनमाल के का0मु0

3.1 सत्तार खां पुत्र तगे खां

3.2 उमराव खां पुत्र तगे खां

3.3 श्रीमती मंजु पुत्री तगे खां पत्नी असकर खां

3.4 श्रीमती सुआ पुत्री तगे खां पत्नी नाथुखां

3.5 श्रीमती हुर्रम पुत्री तगे खां पत्नी दाउद खां जातिगण कोटवाल मुसलमान निवासीगण भीनमाल

4. बाबु खां पुत्र रेमाजी
5. इयेखां पुत्र रेमाजी
6. दडीया खां पुत्र रेमाजी
7. सफीखां पुत्र रेमाजी
8. मुन्नेखां पुत्र रेमाजी
9. श्रीमती सायरा बेवा रेमाजी
10. शेरखां पुत्र मिसरिया
11. आसुखां पुत्र मिसरिया
12. उम्मेद खां पुत्र कालीया
13. बसरेखां पुत्र कालीया
14. अनवरखां पुत्र कालीया
15. जायर खां पुत्र कालीया

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. सांवलाराम पुत्र हंजाजी जाति माली निवासी ऐलाना तहसील व जिला जालोर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16. श्रीमती मोती उर्फ मोरी बेवा कालीया
तमाम जातिगण कोटवाल मुसलमान
निवासीगण गोल उम्मेदाबाद
तहसील व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री साबीर खां, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/2/19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2016 सांवलाराम बनाम सकीना वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई व्यादेश का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर अपीलाण्ट्स के नाम सम्मन जारी किए गए। जिस पर प्रथम पेशी पर प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 8 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा शेष की तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु अण्डरटेकिंग ली। इस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.04.2016 को नियत की गई, जिस दिन सुनवाई नहीं होकर प्रकरण सीधे राजस्व लोक अदालत में नियत की गई। प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत करने का जो नोटिस जारी किया गया, वह समस्त पक्षकारान् को समग्र रूप से जारी किया गया। जो विधि सम्मत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त समस्त पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व लोक अदालत में उपस्थित ही नहीं हुए, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो विधि विरूद्ध हैं। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें एवं प्रकरण विधिवत सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रास्ते आदि को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन की डिक्री पारित की, जिसमें किसी पक्षकार को आपत्ति नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी ग्राम गोल उम्मेदाबाद के खसरा नम्बर 551 रकबा 1.4900 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट की सह खातेदारी भूमि हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर विभाजन कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट संख्या 4, 5, 6 व 8 की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थिति प्रस्तुत की तथा शेष अपीलाण्ट की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने की अण्डरटेकिंग ली। इसके पश्चात पत्रावली राजस्व लोक अदालत में नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया, वह समग्र रूप से अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को एक ही नोटिस जारी किया गया है, जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को पृथक पृथक नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0डी0 1990 पेज 351 नाथू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित किया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है – " Separate notices should have been served on each trespasser-- Where request is made for actual measurement of land alleged to have been trespassed upon, land should be measured before drawing conclusion whether trespass has occurred or not" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण–रूपेण चस्पा होता है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् की राजस्व लोक अदालत में उपस्थिति अंकित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जबकि आदेशिका में समस्त पक्षकारान् के हस्ताक्षर ही नहीं है, जो पक्षकारान की राजस्व लोक अदालत में उपस्थिति साबित करता हो। हस्तगत निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2016 सांवलाराम बनाम सकीना वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर जांच कर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विनिश्चिय कर विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली